

निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण, राजस्थान – जयपुर

राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद प्रकरणों की स्थिति— दिनांक 02 / 2024

क्र. सं.	न्यायालय	वाद सं.	पक्षकार	अधिवक्ता का नाम / मो०नं.	प्रभारी अधिकारी	वाद का संक्षिप्त विवरण एवं प्रगति	स्थगन आदेश	पैशी दिनांक		टिप्पणी	
								पूर्व	आगामी		
1.	राज०उच्च न्यायालय, जोधपुर	611 / 2006	श्री प्रमोद कुमार मेहरा, व० लि० बनाम सरकार	श्री संदीप शाह AAG मो. 9829027272  श्री अमिताभ योगानन्दी अतिरिक्त निदेशक, क्षे.का. जोधपुर मो. 9799921700		राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम) 1996 के नियम 53 ए के अन्तर्गत दिनांक 1.6.02 के पश्चात् तीन से अधिक संतान होने से राज्य सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रक्रिया में वित्त(नियम) विभाग के निर्देश संख्या प.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 21.06.05 एवं निदेशालय के नोटिस क्रमांक 14802 दिनांक 10.11.05 के विरुद्ध अपील की गई। दिनांक 04.08.06 को जवाबदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।		नहीं	18.02.06	ड्यू कोर्स	
		6031 / 2013	श्री गणेश कुमार पुरोहित बनाम सरकार			पारिवारिक विवाद के कारण सजा सुनाए जाने से सेवा से बर्खास्त करने के आदेश के विरुद्ध अपील की गई। राजकीय अधिवक्ता को तथ्यात्मक प्रतिवेदन तथा वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। दिनांक 06.07.2015 को माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया।		नहीं	10.11.16	ड्यू कोर्स	
		13892 / 2016	श्री लोकेश भट्टनागर बनाम सरकार			दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के फलस्वरूप द्वितीय ए.सी.पी. का लाभ 18 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने के 05 वर्ष दिनांक 24.01.2013 को पूर्ण होने के उपरान्त स्वीकृत नहीं की जाकर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2015 की दिनांक से दिये जाने के विरुद्ध अपील दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा दिनांक 29.07.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया है।		हाँ	10.01.2024	23.04.2024	
		4665 / 2021	श्री मदन मोहन सांठिया बनाम सरकार			अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच नहीं होने के कारण विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण सेवानिवृत्ति परीलाभ नहीं देने के विरुद्ध अपील दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय में जवाब दावा दिनांक 26.10.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया है।		नहीं	30.10.2023	26.4.2024	
5		13078 / 2022	श्री हरि नारायण रैगर बनाम सरकार	मेजर आर.पी.	श्री अनील कुमार पारिक प्रशासनिक अधिकारी	आपिलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में प्रतिकूल प्रतिष्ठि के कारण द्वितीय एसीपी दिनांक 3.12.2002 को दिया गया। उक्त प्रतिष्ठियों को ना मानते हुए द्वितीय एसीपी दिनांक 2.1.2018 से देने के लिए अपील दायर की गई।		नहीं	8.12.2023	18.3.24	

6	राज0 उच्च न्यायालय जयपुर	1961 / 2002	विमल किशोर गुरु बनाम सरकार	सिंह AAG मो.9414057405  श्री विजय थावानी लेखाधिकारी मो.नं. 7877362593	अपने से कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नत किये जाने पर वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु अपील दायर की गई। प्रकरण में दिनांक 1.7.02 को जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मामला ड्यू कोर्स में है।	नहीं	30.01. 10	ड्यू कोर्स	
7		1619 / 2002	श्री शांतिकुमार जैन बनाम राज्य सरकार		कार्यालय आदेश सं. 61 / 02 दिनांक 15.2.02 द्वारा राज्य सेवा से पदच्युत किये जाने के विरुद्ध अपील दायर की गई। प्रकरण में दिनांक 31.10.02 को जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।	नहीं	26.10. 15	ड्यू कोर्स	
8.		1361 / 1998 / CRA 374 / 1999	सरकार बनाम प्रहलाद/ कल्याण, सौनिही च०श्रौ कर्मचारी, निदेशालय, जयपुर		जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर में दायर वाद सं. 16 / 94 में पारित निर्णयादेश दिनांक 12.1.98 में विभागीय जांच में पारित आदेश दिनांक 16.2.84 को प्रभाव शुन्य एवं अवैध बताते हुये निरस्त किया गया एवं प्रार्थियों को समस्त कौन्सीक्वैशियल लाभ प्राप्त करने का अधिकारी माना है। उक्त निर्णयादेश के विरुद्ध राज0उच्च न्यायालय, जयपुर में दिन 23.4.98 को अपील प्रस्तुत की गई, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है एवं न ही न्यायालय ने स्थगनादेश जारी किये हैं। 2—वित्त विभाग के आदेश संख्या-प.11(1)वित्त/विप्र/95 दिनांक 14.3.01 के निर्देशानुसार न्यायालय निर्णयादेश दिनांक 12.1.98 की पालना की जा चुकी है। उक्त प्रकरण की वर्तमान स्थिति के अनुसार Date of Listing दिनांक 23.07.2003 बताई गई है। वित्त विधि प्रकोष्ठ विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 20 वर्ष पुराना प्रकरण हो जाने के कारण प्रकरण को निस्तारित करवाने हेतु निर्देश प्रदान किए हैं।	नहीं	23.07. 03 से ड्यू कोर्स	ड्यू कोर्स	
9.		4057 / 2006	श्रीमती केसर देवी च०श्रौ कर्मचारी		वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 12 (6) एफडी/रॉल्स/05 दिनांक 13.3.06 की निरन्तरता में स्थाई वेतन पर, के आदेश को निरस्त कराने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा जारी संशोधित नियुक्ति आदेश संख्या 307 / 06 दिनांक 28.3.06 नियमित वेतन श्रृंखला में जारी नियुक्ति आदेश संख्या 33 / 2005 दिनांक 30.1.06 को यथावत रखने हेतु वाद प्रस्तुत किया। इस वाद प्रकरण का जवाबदावा माननीय न्यायालय में दिनांक 13.9.07 को प्रस्तुत कर दिया गया है। मामला ड्यू कोर्स में है।	नहीं	30.09. 09 से ड्यू कोर्स	ड्यू कोर्स	
10		5527 / 2011	श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी बनाम सरकार एवं अन्य		श्री रमेशचन्द्र वशिष्ठ, सेवानिवृत् सहायक लेखाधिकारी दिनांक 31.07.1994 को इसी विभाग से सेवानिवृत् हुये थे, कि दूसरी पत्नी द्वारा पेन्शन प्रकरण के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। वित्त (राले-1) विभाग के परिपत्र, परिपत्र संख्या—एफ. 11(315) वित्त/राले./1/92 दिनांक 10.07.92 एवं विविध व विधिक कार्य विभाग के पत्रांक प.15(24) वाद/राज/पार्ट/91 दिनांक 09.01.2001 में निहित प्रावधानुसार माननीय न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व उसी विभाग का माना गया है। माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण		16.11. 2022		आगामी तारीख नहीं दी गई

						का दिनांक 11.02.15 को जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है।				
11		8447 / 2018	श्रीमती भंवर कंवर बनाम सरकार एवं अन्य			गलत वेतन निर्धारण किए जाने से वेतन पुनर्निर्धारण आदेश एवं वसूली के विरुद्ध याचना दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश प्रदान किए हैं। प्रकरण में दिनांक 05.10.18 को माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।	हाँ	12.03. 19	.....	आगामी तारीख नहीं दी गई
12	राज0 उच्च न्यायालय जयपुर	8848 / 2020	श्री बद्री लाल मीणा बनाम सरकार			श्री बद्री लाल मीणा ने स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.02.19 को आंशिक रूप से अपास्त कर दिये गये नोशनल परिलाभ के स्थान पर दिनांक 01.04.14 से सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.18 तक की अवधि का वास्तविक लाभ मय एरियर एवं ब्याज दिलाने तथा तदनुसार सभी सेवानिवृत्ति परिलाभ संशाधित किये जाने हेतु उक्त याचिका दायर की है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दिनांक 16.03.2021 प्रस्तुत किया गया है।	नहीं	15.01. 2024	11.3. 2024	
13										

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर-5 प्रकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर-7 प्रकरण = कुल प्रकरण-12

राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण में विचाराधीन वाद प्रकरणों की स्थिति-दिनांक 02 / 2024

क्र. सं.	न्यायालय	वाद सं०	पक्षकार	अधिवक्ता का नाम / मो०नं	प्रभारी अधिकारी	वाद का संक्षिप्त विवरण एवं प्रगति	स्थगन आदेश	पेशी दिनांक		टिप्पणी
								पूर्व	आगामी	
1	राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर			श्री हेमन्त धारीवाल मो 9414042357	श्री अशोक कुमार शर्मा प्रशासनिक अधिकारी निदेशालय मो. 9928383914					
2.		61 / 2019	श्री हरि नारायण रैगर बनाम सरकार			प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अपील प्रस्तुत की गई है।। दिनांक 03.04.19 को जवाबदावा माननीय अधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है।	नहीं	12/02/2024	27.02.2024	
3		919 / 2020	श्री सीताराम मीणा बनाम सरकार			गलत वेतन निर्धारण किए जाने से वेतन पुनर्निर्धारण आदेश एवं वसूली के विरुद्ध याचना दायर की गई। माननीय अधिकरण ने विभाग के आदेश के क्रियान्वयन पर स्थगन आदेश प्रदान किए हैं। दिनांक 18.01.2021 को जवाबदावा माननीय अधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है।	हाँ	12.02.2024	15.04.2024	
4		476 / 2014	श्री रामधन रैगर बनाम सरकार			गलत वेतन निर्धारण किए जाने से वेतन पुनर्निर्धारण आदेश एवं वसूली के विरुद्ध याचना दायर की गई। 11.05.2011 को सिविल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट के 12.07.2012 के क्रम से निदेशालय के पंत्राक दिनांक 22.11.2012 पर 06.12.2012 को मूल भुगतान कर दिया गया है। अपिलार्थी द्वारा व्याज की रकम के लिए सिविल कोर्ट में केस लगाया गया जोकि सितम्बर 2021 में खारिज हो गया है जिसे प्रार्थी द्वारा पुनः ओपन किया गया है। दिनांक 20.07.2023 को जवाबदावा माननीय अधिकरण में प्रस्तुत कर दिया गया है।	हा	12.01.2024	12.03.2024	